



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रबली पुत्र श्री रामआसरे, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-47880/प्रो०अनु०(2)-309/2025 (बैठक दिनांक-19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रबली पुत्र श्री रामआसरे, जो तुलसीपुर, थाना-सम्मनपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। दिनांक 28.02.2007 अभियुक्त द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी शीला व पुत्री दीपांक्षी व पुत्र गोलू की मुंह, नाक और गला दबाकर हत्या करने के बाद उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। बन्दी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-55/2008 में भा०द०वि० की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 28.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.06.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 10 माह, 05 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 11.06.2025 तक लगभग 43 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकरनगर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं आने, बन्दी के भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी पुनः अपराध कर सकने में अशक्त नहीं होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 28.02.2007 अभियुक्त द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी शीला व पुत्री दीपांक्षी व पुत्र गोलू की मुंह, नाक और गला दबाकर हत्या करने के बाद उन्हें जला दिया था। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई

जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में मय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इन्द्रबली पुत्र राम आसरे को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नॉमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रबली (बन्दी संख्या-17426) पुत्र श्री रामआसरे, निवासी जनपद- अम्बेडकरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1043/2026/2502(1)/22-2-2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 3- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि०) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि०) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।